भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3351
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

जेंडर बजटिंग सेल

3351. **सुश्री एस. जोतिमणिः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनिवार्यतानुसार जेंडर बजटिंग सेल (जीबीसी) स्थापित करने वाले मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय द्वारा शेष सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जीबीसी स्थापित करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा/उपलब्धियां निर्धारित की गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने जेंडर-उत्तरदायी नीति-निर्माण को सुदृढ़ बनाने हेतु जेंडर-वार/अंतर्विभागीय आधार पर आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से संकलित करने हेतु कोई रणनीति तैयार की है;
(घ) क्या सरकार का वर्तमान जीबीसी के कार्य-निष्पादन का स्वतंत्र लेखा परीक्षण कराने का विचार है, जिसमें यह भी शामिल है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बजट संबंधी निर्णयों और परिणामों को किस प्रकार प्रभावित किया है; और
(ङ) यदि हाँ, तो आंकड़े संकलित करने, मंत्रालयों के साथ समन्वय तथा ऐसे आंकड़ों को कार्यक्रम तैयार करने और बजट संबंधी निर्णयों में एकीकृत करने हेतु अपनाए जा रहे तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): जेंडर बजट प्रकोष्ठों का चार्टर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी किया गया था। इसमें सभी मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजट प्रकोष्ठों (जीबीसी) के गठन, संरचना तथा कार्यप्रणाली के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजट प्रकोष्ठों की स्थापना का उद्देश्य नीतियों तथा कार्यक्रमों को इस प्रकार प्रभावित करना तथा उनमें परिवर्तन लाना है कि वे जेंडर असंतुलन का समाधान कर सकें, जेंडर समानता एवं

विकास को बढ़ावा दें तथा यह सुनिश्चित करें कि मंत्रालय के बजट के माध्यम से उपलब्ध सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन एवं प्रबंधन तदनुसार किया जाए।

जेंडर बजट प्रकोष्ठ की परिकल्पना किसी मंत्रालय/विभाग में जेंडर बजट तैयार करने संबंधी पहलों के समन्वय हेतु एक नोडल इकाई के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। चार्टर में उल्लेख है कि जेंडर बजट प्रकोष्ठ कार्यक्रमों की पहचान करने ताकि उनके द्वारा समाधान किए गए जेंडर मुद्दों का विश्लेषण किया जा सके; सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श/परामर्श आयोजित करने ताकि विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके तथा क्षेत्रवार नीतियों एवं कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया जा सके; कार्यक्रम के वास्तविक भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा करने इत्यादि जैसे कार्य कर सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 62 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जेंडर बजट प्रकोष्ठ स्थापित किए जा चुके हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि जेंडर बजट तैयार करने संबंधी उनकी प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। मंत्रालय द्वारा सरकारी अधिकारियों के लिए जेंडर बजटिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। मंत्रालय/विभाग/संघ राज्य क्षेत्र जेंडर बजट संबंधी प्रावधानों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग स्वयं अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से करते हैं। वे अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय-समय पर प्रगति की निगरानी भी करते हैं। ये मंत्रालय/विभाग आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) में आंकड़े उपलब्ध कराते हैं, जो भारत सरकार की योजनाओं के लिए एक परिणाम निगरानी ढांचा है, तथा इसमें मंत्रालयों/विभागों की कुछ योजनाओं के अंतर्गत जेंडर संबंधी संकेतक भी शामिल हैं। जेंडर संबंधी संकेतकों की प्रगति का आकलन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) इत्यादि जैसे राष्ट्रीय स्तर के नमूना सर्वेक्षणों में भी किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग बजट परिपत्र जारी करता है, जिसमें अंतर्गत सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्धारित प्रारूप में जेंडर बजट विवरण में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए किए गए आवंटनों की सूचना देना अनिवार्य होता है। केंद्रीय बजट के व्यय प्रोफाइल के विवरण-13 के रूप में संकलित किए जाने वाले जेंडर बजट आवंटन, मंत्रालयों/विभागों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए तैयार किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट के जेंडर बजट विवरण में महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण के लिए 5.01 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की सूचना दी गई है। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 के 4.49 लाख करोड़ रुपये के जेंडर बजट विवरण के आवंटन की तुलना में 11.55 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 53 केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों ने आवंटनों की सूचना दी है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 49 मंत्रालयों/विभागों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों ने आवंटनों की सूचना दी है।
